B — कौशल एवं अवसर

औद्योगिक क्षेत्र / क्लस्टर / रोजगार नोड (Industrial Estate / Cluster / Employment Node)

यह संस्थान क्या है

औद्योगिक क्षेत्र, क्लस्टर या रोजगार नोड एक निर्धारित भौतिक क्षेत्र है जहाँ कारख़ाने, वर्कशॉप और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान केंद्रित होते हैं। यह कोई सेवा-वितरण संस्थान नहीं है — यह वह जगह है जहाँ नौकरियाँ मौजूद होती हैं। राज्य औद्योगिक विकास निगम (State Industrial Development Corporations) इन क्षेत्रों का विकास और प्रबंधन करते हैं: उत्तर प्रदेश में UPSIDA (upsida.gov.in), मध्य प्रदेश में MPSIDC, राजस्थान में RIICO, बिहार में BSIDC, और हरियाणा में HSIIDC। ये निकाय ज़मीन अधिग्रहीत करते हैं, बुनियादी ढाँचा विकसित करते हैं, प्लॉट आवंटित करते हैं, और क्षेत्र का रखरखाव करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र का मानचित्रण करने से यह सामने आता है कि वहाँ कैसा काम उपलब्ध है, किन कौशलों की माँग है, और क्या प्रशिक्षण संस्थान स्थानीय अर्थव्यवस्था के साथ संरेखित हैं।

> **यह आपके लिए क्यों मायने रखता है**
>
> यदि आप नौकरी की तलाश में हैं या यह सोच रहे हैं कि कौन-से कौशल सीखें, तो आपके जिले का औद्योगिक क्षेत्र आपको बताता है कि आसपास वास्तव में कौन-से उद्योग मौजूद हैं और वे किसके लिए लोग रखते हैं। यहीं रोजगार पैदा होता है।

शासन

कानून / नीति	दायरा
राज्य औद्योगिक विकास अधिनियम (State Industrial Development Acts)	राज्य विधान जो IDC (राज्य औद्योगिक विकास निगम) की स्थापना करता है
राज्य औद्योगिक नीतियाँ	उद्यम संवर्धन के नियम, सब्सिडी और प्रोत्साहन
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP)	सामान्य सुविधा केंद्रों एवं क्लस्टर बुनियादी ढाँचे के लिए केंद्रीय योजना
एक जिला एक उत्पाद (ODOP)	उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की राष्ट्रीय पहल, साथ में MoFPI (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय) का खाद्य-प्रसंस्करण घटक (odop.mofpi.gov.in)
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता (ओएसएच कोड), 2020 (21 नवंबर 2025 से लागू; 13 अधिनियमों का समेकन — जिसमें कारख़ाना अधिनियम, 1948 और भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (नियोजन और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 शामिल हैं)	कारख़ाना पंजीकरण, कार्यदशाएँ; 30 या अधिक महिला कामगार होने पर शिशुगृह अनिवार्य

- **राज्य:** राज्य उद्योग विभाग → राज्य IDC (UPSIDA / RIICO / HSIIDC / MPSIDC / BSIDC)
- **क्षेत्र:** औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधक / इस्टेट अधिकारी (राज्य IDC द्वारा नियुक्त — प्लॉट आवंटन, रखरखाव और विवाद निपटान के लिए जिम्मेदार)
- **क्लस्टर-स्तरीय शासन (जहाँ सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP) लागू है):** विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) — सोसायटी या धारा 8 कंपनी के रूप में गठित; क्लस्टर विकास कार्यपालक (CDE) संचालन का प्रबंधन करते हैं; कार्यान्वयन एजेंसी (IA) SPV की निगरानी करती है
- **अनुपालन निगरानी:** श्रम निरीक्षक (2020 ओएसएच कोड के तहत कार्यदशा अनुपालन); राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जोनल अधिकारी (पर्यावरण अनुपालन); जिला औद्योगिक सलाहकार समिति (जहाँ गठित हो)
- **जिला:** DIC (जिला उद्योग केंद्र) महाप्रबंधक (उद्यम परिदृश्य का समन्वय)
- **केंद्र:** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास एवं सुविधा कार्यालय (MSME विकास एवं सुविधा कार्यालय (MSME-DFO)) — क्लस्टर विकास के लिए; MSME मंत्रालय MSE-CDP के लिए

मुख्य पद

पद	जिम्मेदारी
औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधक / इस्टेट अधिकारी	प्लॉट आवंटन, रखरखाव, विवाद निपटान (राज्य IDC द्वारा नियुक्त)
DIC महाप्रबंधक	जिला-स्तरीय उद्योग अधिकारी; उद्यम परिदृश्य की जानकारी
कारख़ाना मालिक / प्रबंधक	वास्तविक नियोक्ता; भर्ती के तरीके, कौशल आवश्यकताएँ, मजदूरी सामने लाते हैं
औद्योगिक संघ के प्रतिनिधि	स्थानीय उद्योग संघ के पदाधिकारी

अनिवार्य सेवाएँ

- बिजली, पानी, सड़क पहुँच और जल निकासी से युक्त सेवायुक्त औद्योगिक प्लॉट उपलब्ध कराना
- एकल-खिड़की मंजूरी और अनुमोदनों के माध्यम से उद्यम स्थापना में सुविधा प्रदान करना
- MSE-CDP के तहत सामान्य सुविधा केंद्रों, कच्चे माल बैंक और विपणन सहायता के साथ क्लस्टरों को बढ़ावा देना
- **CFC अनुदान:** ₹5-10 करोड़ बैंड में परियोजना लागत का 70%; ₹10-30 करोड़ बैंड में 60%। आकांक्षी जिलों, उत्तर-पूर्व क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों, द्वीपीय क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित जिलों, और 50% से अधिक सूक्ष्म/ग्रामीण, महिला-स्वामित्व या SC/ST-स्वामित्व वाली इकाइयों वाले क्लस्टरों के लिए अनुदान 80% (₹5-10 करोड़) और 70% (₹10-30 करोड़) है।
- **बुनियादी ढाँचा विकास (ID) अनुदान:** नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत का 60% (₹5-15 करोड़) और मौजूदा क्षेत्रों के उन्नयन के लिए 50% (₹5-10 करोड़)। विशेष-श्रेणी जिलों एवं क्लस्टरों (ऊपर वर्णित) को 70% (नए, ₹5-15 करोड़) और 60% (उन्नयन, ₹5-10 करोड़) मिलता है।
- प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़ाव: ITI और पॉलिटेक्निक से अपेक्षा है कि वे अपने पाठ्यक्रमों को स्थानीय औद्योगिक कौशल माँग के साथ संरेखित करें

संबद्ध योजनाएँ

- **उद्यम पंजीकरण (Udyam Registration)** — MSME पंजीकरण जो सरकारी योजनाओं तक पहुँच खोलता है
- **MSE-CDP** — चिह्नित क्लस्टरों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र और क्लस्टर बुनियादी ढाँचा
- **ODOP** — जिले के हस्ताक्षर उत्पाद का संवर्धन (DPIIT राष्ट्रीय और MoFPI खाद्य-प्रसंस्करण)
- **राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना (NAPS)** — क्षेत्र की इकाइयाँ प्रशिक्षु-नियोक्ता प्रतिष्ठान के रूप में पंजीकरण कर सकती हैं
- **राज्य IDC योजनाएँ** — प्लॉट आवंटन सब्सिडी और क्षेत्र-विशिष्ट बुनियादी ढाँचा

कैसे ढूँढें

पोर्टल: राज्य IDC वेबसाइटें: UPSIDA (upsida.gov.in), RIICO (riico.rajasthan.gov.in), HSIIDC (hsiidc.org.in), MPSIDC (mpsidc.com), BSIDC (bsidc.in)

इसके अलावा: DIC में पूछें — महाप्रबंधक के पास औद्योगिक क्षेत्रों की सूची होती है; स्थानीय स्तर पर "औद्योगिक क्षेत्र" या "audhyogik kshetra" खोजें

मुख्य सुविधाएँ

एक क्रियाशील औद्योगिक क्षेत्र में होना चाहिए: जल निकासी सहित आंतरिक सड़कें, सुनिश्चित बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति, सामान्य अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएँ, अलग-अलग आकार के सेवायुक्त प्लॉट, और सुरक्षा या सीमा-निर्धारण। कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर वे जो MSME क्लस्टर के रूप में काम करते हैं, साझा उपकरणों के साथ एक सामान्य सुविधा केंद्र (CFC) होता है, जो प्रायः MSE-CDP के तहत वित्त-पोषित होता है। CFC अनिवार्य नहीं है पर जहाँ है, वहाँ अतिरिक्त लाभ देता है।

एक क्रियाशील औद्योगिक क्षेत्र कैसा दिखता है

- क्षेत्र की इकाइयाँ कामगारों की मौजूदगी और चालू उत्पादन के साथ संचालित हैं
- उद्योग पहचानने योग्य क्लस्टरों के रूप में मौजूद हैं और जिले के आर्थिक चरित्र के साथ संरेखित हैं
- कामगारों के पास EPF/ESI पंजीकरण है जो औपचारिक रोजगार का संकेत है
- क्षेत्र के उद्योगों द्वारा माँगे गए कौशल जिले के ITI और पॉलिटेक्निक में पढ़ाए जाने वाले ट्रेडों से मेल खाते हैं
- बुनियादी ढाँचा बना हुआ है: सड़कें, बिजली आपूर्ति, पानी और अपशिष्ट प्रबंधन कार्यशील हैं
- प्रशिक्षु-भर्ती दिखाई देती है, इकाइयाँ NAPS पोर्टल पर पंजीकृत हैं

शिकायत निवारण

सेवा वितरण के दौरान। पहला संपर्क बिंदु औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधक / इस्टेट अधिकारी (राज्य IDC नियुक्ति) है। क्लस्टर-विशिष्ट मुद्दों (MSE-CDP) के लिए, CDE और SPV बोर्ड पहले प्रत्युत्तर देते हैं।

सेवा के बाद। मामला राज्य औद्योगिक विकास निगम (राज्य के अनुसार UPSIDA / RIICO / HSIIDC / MPSIDC / BSIDC) तक बढ़ाया जाता है, फिर राज्य उद्योग विभाग और जिला उद्योग केंद्र (DIC) के महाप्रबंधक तक। जिला औद्योगिक सलाहकार समिति (जहाँ गठित हो) क्षेत्र-स्तरीय मुद्दों की समीक्षा करती है।

बाहरी। क्षेत्र की इकाइयों में कार्यदशा / श्रम-कानून उल्लंघनों के लिए जिला श्रम कार्यालय और श्रम सुविधा पोर्टल (shramsuvidha.gov.in) के पास अधिकार-क्षेत्र है। पर्यावरण अनुपालन के मामले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जाते हैं। MSME मंत्रालय का CHAMPIONS पोर्टल (champions.gov.in) क्लस्टर-स्तरीय शिकायतों को संभालता है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) (pgportal.gov.in) केंद्रीय-मंत्रालय एस्केलेशन को कवर करती है।